

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

अनुवान

Case

क्रमांक २५७/१८ वनाम २५७/१८/१८

नाम

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
	<p>२०/१/१८ पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उपस्थित। पूवदिशानुसार वास्ते... दिनांक २०/१/१८ को पेश हो।</p> <p>अलियो बोटे ३५०, प्रमिपनी ३५१० है, के निरुव एप पलीम कार्मिदि की जादी है, तलनी-३ में दि. २३.१.१८ को पेश होने।</p> <p>इकजाई पेरी - २२.५.१८ इकजाई पेरी - २८.८.१८</p>	<p>२५७/१८/१८</p> <p>२५७/१८/१८</p>
५-१२-१८	<p>पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उपस्थित। पूवदिशानुसार वास्ते... दिनांक १९-२-१९ को पेश हो।</p>	
११/११/१९	<p>पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उपस्थित। पूवदिशानुसार वास्ते... दिनांक ३०/१०/१९ को पेश हो।</p>	
३०/१०/१९	<p>पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उपस्थित। पूवदिशानुसार वास्ते... दिनांक १२/१२/१९ को पेश हो।</p>	
१७/१२/१९	<p>पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उपस्थित। पूवदिशानुसार वास्ते... दिनांक ११/१२/२० को पेश हो।</p>	
११/९/२०	<p>कोविड-१९ कोरोना वैदिक नजामती के कारण लॉकडाउन के कारण पत्रावली पेश की जा सकती है। पूवदिशानुसार आगामी दिनांक २५/९/२० को पेश हो।</p>	

२५७/१८/१८
२५७/१८/१८

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज</p>	<p>नम्बर अहकाम हुकम की में जारी</p>
<p>25/4/20</p>	<p>कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन है जिस कारण न्यायालय में पत्रावलियों की सुनवाई नहीं की जा सकती है इसलिये पत्रावली पूर्वानुसार आगामी दिनांक 27/4/20 को प्रस्तुत हो।</p> <p style="text-align: center;">२</p> <p style="text-align: center;">रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लीजार</p>	
<p>31/4/20</p>	<p>कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन है जिस कारण न्यायालय में पत्रावलियों की सुनवाई नहीं की जा सकती है इसलिये पत्रावली पूर्वानुसार आगामी दिनांक 7/5/20 को प्रस्तुत हो।</p> <p style="text-align: center;">३</p> <p style="text-align: center;">रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लीजार</p>	
<p>7/5/20</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई बार बार आवृत्ति मिलवाई गई बाकी पत्रावली में से कोई भी उपस्थित नहीं वकील का पत्र डाक हागिनी अधम बैरकी में स्वारिज किया गया है पत्रावली मौजल हुमाद होकर बाक एकमील जना लेख भेजा है</p>	

तारी
हुक

कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन है जिस कारण न्यायालय में पत्रावलियों की सुनवाई नहीं की जा सकती है इसलिये पत्रावली पूर्वानुसार आगामी दिनांक 7/5/20 को प्रस्तुत हो।

३

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लीजार